BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 09 जुलाई 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर मारपीट करने के 04 आरोपियो को 02-02 वर्ष का कारावास व 01-01 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1-किरनवीर 2- कृष्ण पुत्रगण श्यौराज सिंह 3- हरेन्द्र पुत्र नारायन 4- कपिल पुत्र मनेन्द्र निवासीगण हुर्थला थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2014 में अपने गांव निवासी एक व्यक्ति डालचन्द के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर घायल कर देना जान से मारने की धमकी देना व जाति सूचक शब्द कहने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 24.11.20114 को थाना सलेमपुर पर मुअसं- 201/2014 धारा 323,34,504,506 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 03.12.2014 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 09.07.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-13 स्पेशल एससी/एसटी एक्ट बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण किरनवीर, कृष्ण, हरेन्द्र व कपिल को 02-02 वर्ष का कारावास व 01-01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विपुल कुमार राघव व रश्मि सोलंकी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर